# लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

**बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग**

बिहार सरकार



विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in


**पत्रांक:** BRLPS/LSBA/Proj/159/20/30 **दिनांक :** 12.05.2020

प्रेषक,

**राजीव रौशन,** भा०प्र०से०,
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,**
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

**विषय :** **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-दो (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) अंतर्गत IEC एवं Admin मद से व्यय हेतु संशोधित Norms के संबंध में।**

**प्रसंग :** **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक संख्या- S-11011 /2/2020-SBM, दिनांक 18 अप्रैल, 2020.**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य को 'खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने' एवं 'व्यवहार परिवर्तन के स्थायित्व' हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-द्वितीय फेज [SBM-G Phase- II) को केंद्र सरकार से मंजूरी प्रदान की गई है। इस चरण (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक संचालित) अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में 'खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व' (ODF-S) और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के प्रति जनजागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु IEC कार्यक्रम/गतिविधियों का संचालन प्रमुखता से किया जाना है।

प्रसंग वर्णित निदेश द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-दो अंतर्गत Administrative Expense (Admin) एवं IEC मद से व्यय मापदंड में परिवर्तन किया गया है, तदनुसार जिला अंतर्गत प्राप्त योजना निधि का 0.75% प्रतिशत Administrative Expense (Admin) मद एवं 2.00% सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC & CB) मद में संबंधित जिला द्वारा व्यय किया जाएगा। वर्णित संशोधित निर्देश 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।

उपरोक्त संशोधित निर्देशों के आलोक में क्रियान्वयन करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे राज्य अंतर्गत 'खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व' एवं संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

विश्वासभाजन

**अनुलग्नक: यथोक्त।**

12.05.2020

**(राजीव रौशन)**

**ज्ञापांक :** BRLPS/LSBA/Proj/152/20/30 **दिनांक :** 12.05.2020

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक/जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त- सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.5.2020

**(राजीव रौशन)**